पत्नी के रहते दूसरी स्त्री से अफेयर गलत नहीं - सुप्रीम कोर्ट

सर्वश्रेष्ठ सांध्य दैनिक सीमा केसरी

पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से अफेयर गलत नहीं:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हमारा ऐसा मानना है कि शादीशुदा रिश्ते के कायम रहने के दौरान अगर पति किसी और के नजदीक आ जाता है और वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाता है तो भी यह पत्नी के साथ क्रूरता नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर दूसरी महिला से पति की नजदीकी इस हद तक हो कि पत्नी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए तो आईपीसी की धारा 498.ए के तहत मामला बनता है। यह फैसला एक शख्स की अपील पर सुनाया गया, जिसके खिलाफ धारा 498.ए के तहत अपनी पत्नी के साथ क्रूरता बरतने और धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। इस जोड़े ने 1989 में शादी की थी। बाद में पति का अपनी सहयोगी के साथ अफेयर हो गया। इसके बाद तथाकथित रूप से पत्नी अलग-थलग महसूस करने लगी और मार्च 1996 में उसने आत्महत्या कर ली। बेंच ने कहा, अदालत ने पाया कि तथा कथित एक्स्ट्रा-मेरिटल रिश्ता ऐसा नहीं था कि वह आरोपी शख्स की पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। इसके साथ ही आत्महत्या करने वाली महिला के पति ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो सामान्य परिस्थिति में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर साबित हो जाए तो एक्स्ट्रा-मेरिटल अफेयर को गैरकानूनी और अनैतिक करार दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में यह साबित नहीं किया जा सका है कि पति ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।

तो क्या जज साहब की बात का यह मतलब समझा जाए कि जब तक पत्नी आत्महत्या नहीं कर लेती, तब तक पति, पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से सम्बन्ध बनाए तो बुरा नहीं? और उसका प्रताड़ना और पीड़ा का क्या जो पत्नी को आत्म-हत्या तक ले आई? अब कोई आत्म-हत्या किये बिना तो साबित नहीं कर सकती ना कि वो आत्महत्या करने के हालात तक आ गई है? क्योंकि जज-साहब कह देंगे पर आपने की तो नहीं ना? मुझे तो इन जनाब की ये सोच समझ नहीं आई, आपको किसी को आई हो तो मुझे समझाने में सहायता करें.....

जरूर ये जज साहब भारतीय पत्नी के दिल को नहीं समझते। भारतीय क्या यहाँ तो कोई यूरोपियन होगी तो वो भी अपने पति को दूसरी औरत के साथ बर्दास्त नहीं करती, बावजूद इसके कि वो दुनिया में सबसे खुले दिमाग की मानी जाती हैं....

Nidana Heights (03/10/2013)